न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा, आई0ए0एस)

अपील संख्या 101 / 15 (अन्तर्गत धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम 1956)

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री छाजूलाल जाति महाजन निवासी गंगापुर तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर

------अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका गंगापुर, तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर

------रेस्पोडेण्टस

उपस्थिति :–

1–श्री दिनेश शर्मा, एडवोकेट अपीलाण्ट

2–सरकारी पैरोकार, एडवोकेट रेस्पोडेंट संख्या 1

3–श्री हनुमान प्रसाद गोयल, एडवोकेट रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय दिनांक 6–6–2022

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से प्राधिकृत अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी) की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ख के तहत पारित आदेश दिनांक 08.02.2001 के विरूद्ध एक अपील इस आशय की पेश की कि रैस्पो0 संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी) के न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि ग्राम गंगापुरसिटी के खसरा नं 269 / 0.11, 463 / 645 / 0.26, 463 / 655 / 0.17, 463 / 656 / 0.79 किता 4 रकवा 1.33 हेक्ट0 कृषि भूमि है जिसका खातेदार अपीलांट द्वारा अकृषि में परिवर्तन किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहीत किया जाकर नगर पालिका गंगापुरसिटी के नाम उक्त भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं जो कि विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिगृहण की कार्यवाही न तो विधि अनुसार की गयी है और न ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। किसी तरह का कोई नोटिस उजरदारी जारी नहीं किया गया व अपीलांट को सुनवाई भी नहीं की गयी। विधि अनुसार भू रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी और न ही ले आउट योजना ही स्वीकृत की गयी। राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि कृषि भूमि दर्ज थी जिस पर अपीलांट खातेदार दर्ज था।

6/6/2022

सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि को सिवायचक गैर नगर परिषद गंगापुरसिटी के नाम अंकित किया गया है। उक्त आराजी कृषि कार्य मे आ रही है तथा गैर मुमकिन चाही प्रथम व बारानी प्रथम रिकार्ड मे दर्ज है व उस पर आज भी खेती है तथा अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। उक्त प्रकरण मे 90क के प्रावधान लागू नही होते हैं क्योंकि विवादित भूमि नगर पालिका गंगापुरसिटी के क्षेत्राधिकार मे नही आती है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा पेरीफेरी एरिये में उक्त भूमि मानकर जो आदेश दिया है वह गलत है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ख का निरसन हो चुका है। इसलिए अपील पेश करने के उद्देश्य से ही उक्त प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश एक छपे हुये प्रिन्ट पर दिया गया है जो कि निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट ने विवादित आराजी को न तो बेचान किया है और न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया है। लेकिन मातहत अदालत द्वारा गलत रूप से मानते हुये कि अवैध रूप से मकानात का निर्माण कराया जा रहा है, निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03.12.2015 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। जिस पर निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 07.12.2015 को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 08.12.2015 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अंदर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील के साथ दफा 5 लिमिटैशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2001 निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि पूर्वानुसार अपीलांट के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटैशन दर्ज की जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये सम्मन की गयी व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल रिकार्ड तलब किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 की ओर सरकारी पैरोकार व रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से श्री हनुमान प्रसाद गोयल, एडवोकेट उपस्थित हुये।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें नगरपालिका गंगापुर सिटी के क्षेत्राधिकार स्थित खसरा नंबर 269 रकबा 0.11, 463/645 रकबा 0.26, 463/655 0.17, 463/656 0.79 किता 4 रकबा 1.33 हैक्टेयर ग्राम गंगापुरसिटी जिसमें मैमो ऑफ अपील में वर्णित खसरा नम्बरान को कृषि भूमि होने व इसका अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने के कारण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के तहत नगरपालिका गंगापुरसिटी के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय किया गया है जबकि अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि का अपीलाण्ट खातेदार है जो कि कृषि भूमि है। इसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना ही अपीलाण्ट के खातेदारी के अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहीत किये जाने के आदेश दिये

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जो कि विधि विरूद्व व नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व निर्णय प्रकिया का अनुसरण नहीं किया गया है। नोटिस आदि जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और लेआउट स्वीकृत नही किया गया है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि कृषि भूमि थी इसके बावजूद भी उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करके नगरपालिका गंगापुर सिटी के नाम दर्ज किया गया है जबकि उक्त भूमि पर आज दिनांक तक खेती हो रही है और अपीलाण्ट का कब्जा भी चला आ रहा है इसलिये प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी का आदेश विधि विरूद्व व नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वकील अपीलाण्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के प्रावधान लागू नही होते हैं क्योकिं उक्त भूमि नगरपालिका गंगापुर सिटी के क्षेत्राधिकार में नही है। अदालत मातहत ने उक्त भूमि को नगरपालिका गंगापुर सिटी के परिधीय क्षेत्र में मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के तहत पारित किया गया है जो कि वर्तमान में निरसित हो चुकी है। अपीलाधीन निर्णय एक छपे हुए प्रिंट पर दिया गया है जो कि निर्णय की परिभाषा में नही आता है। विवादित भूमि का कोई बेचान नही किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कराया गया है। परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश में मकानों का निर्माण मानकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश की जानकारी सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने से तत्समय नही हुई। सर्वप्रथम इस निर्णय की जानकारी दिनांक 3–12–2015 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई। जानकारी होते ही निर्णय की नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 7–12–2015 को पेश किया व 8–12–2015 को नकल प्राप्त होने के बाद अंदर मियाद जानकारी से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील पेश करने में हुए बिलम्ब के लिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–2–2001 निरस्त किया जावे तथा उक्त भूमि को पूर्वानुसार अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें।

वकील अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। वर्ष 2001 में हुए निर्णय की अपील लगभग 14 वर्ष बाद 2015 में की गयी है जबकि अदालत मातहत द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील होने के बाद भी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के वकील ने वकील अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस का प्रतिउत्तर देते हुए तर्क दिया कि प्रथम तो उक्त अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है क्योकिं निर्णय के 14 वर्ष बाद वर्ष 2015 में अपील की गयी है। जहां

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश करने का ...है तो इसमें अपीलाण्ट की ओर से बिलंब के कारण को स्पष्ट नही किया गया है जबकि नियमों में बिलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्ट कारण बताना आवश्यक है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद ही पारित किया गया है। उक्त कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवायी गयी है। अपीलाण्ट की ओर से विवादित भूमि को जो कि कृषि भूमि थी को अकृषि प्रयोजनार्थ बिना अनुमति के काम में लिये जाने के कारण नगरपालिका गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी ने उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट की ओर से नगरपालिका गंगापुर सिटी को उक्त भूमि सरैण्डर भी कर दी है। उक्त भूमि नगरपालिका गंगापुर सिटी के नाम दर्ज होकर वर्तमान में नगरपालिका के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग

रिव्युटल में पुनः वकील अपीलाण्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि को सरैण्डर करने का कोई साक्ष्य अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध नही है और न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है। जहां तक मियाद का प्रश्न है तो मैमो ऑफ अपील में स्पष्ट किया गया है कि अपीलाण्ट को इस निर्णय की जानकारी नही हो पायी तथा उक्त निर्णय की जानकारी होते ही अंदर मियाद जानकारी अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील पेश करने में हुए बिलम्ब के लिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8–2–2001 निरस्त किया जावे।

अपीलाण्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनने एवं मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जहां तक अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने का प्रश्न है तो इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटैशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसके काउन्टर में रेस्पोडैंटस की ओर से न तो कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मीमो ऑफ अपील में वर्णित जानकारी की तिथि गलत है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटैशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को आधार मानते हुये उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन प्रकरण संबंधी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी को

6/6/20..
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

0.26, 463/655/...

...न के सम्बन्ध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के ...र्ग्रहण की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें ...वादित भूमि के खातेदारान द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ बिना अनुमति के काम में लिये जाने तथा उक्त भूमि नगरपालिका गंगापुरसिटी की परिसीमा में आने के कारण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के तहत पुर्नग्रहण की कार्यवाही हेतु लिखा गया। तहसीलदार भूमिधारी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी को रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस रिपोर्ट के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के न्यायालय में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि खातेदारान द्वारा कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ बिना अनुमति के काम में लिया जा रहा है, अतः अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर वर्णित भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत नोटिस सुनवाई हेतु जारी किया गया। सुनवाई हेतु प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित नही होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8-2-2001 को पारित किया गया है जिसमें अपीलाण्ट के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने का उल्लेख करते हुए विवादित भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ बिना अनुमति के काम में लिये जाने का उल्लेख किया गया तो अपीलाण्ट को जरिये नोटिस व स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार का प्रकाशन करवाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के कथन व इस हेतु पटवारी हल्का द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण तथा संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे यह बखूबी साबित होता है कि उक्त कृषि भूमि को या उसके किसी भाग को अपीलाण्ट द्वारा अकृषि प्रयोजनार्थ बिना अनुमति के अकृषि में परिणित कर लिया है। इस आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के तहत आराजी खसरा नंबर 269 रकबा 0.11 , 463/655 रकबा 0.26 , 463/655 रकबा 0.17, 463/656 रकबा 0.79 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर जो कि नगरपालिका गंगापुरसिटी के अन्तर्गत स्थित है, को गैर सायलान द्वारा अधिकारों व हितों का पर्यावसन करते हुए भूमि पुर्नग्रहीत की गयी है तथा उक्त अधिनियम की धारा 90(ख) (6) के तहत पुर्नग्रहीत की गयी भूमि समस्त भार ग्रस्ताओं से मुक्त रूप में राज्य हित में निहित होगी तथा इस अधिनियम की धारा 102(क) के अधीन नगरपालिका गंगापुरसिटी के अधीन किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जहां तक वकील अपीलाण्ट का यह तर्क कि विवादित भूमि नगरपालिका गंगापुरसिटी की परिधि या पैराफैरी में नही है और वर्तमान में भी कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है, के समर्थन में किसी भी तरह का कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। दूसरी ओर पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें विवादित भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने का उल्लेख किया गया है, को आधार मानते हुए रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवेदन पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय में किसी

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नही आती है। इसी प्रकार वकील ...ाण्ट का यह तर्क कि वर्तमान में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) प्रभाव में नही है तथा इसे विलोपित कर दिया गया है इसलिए निर्णय के आधार पर कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नही रह जाता है तो उक्त तर्क से भी हम सहमत नही है क्योकिं प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2001 को उक्त धारा अस्तित्व में थी। इसके तहत ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6–6–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
भरतपुर।